SHRI JAVED ALI KHAN (Uttar Pradesh): Sir, I also associate myself with the matter raised by the hon. Member.

SHRI K.R.N. RAJESHKUMAR (Tamil Nadu): Sir, I also associate myself with the matter raised by the hon. Member.

SHRI SUSHIL KUMAR GUPTA (National Capital Territory of Delhi): Sir, I also associate myself with the matter raised by the hon. Member.

PROF. MANOJ KUMAR JHA (Bihar): Sir, I also associate myself with the matter raised by the hon. Member.

DR. JOHN BRITTAS (Kerala): Sir, I also associate myself with the matter raised by the hon. Member.

SHRI BINOY VISWAM (Kerala): Sir, I also associate myself with the matter raised by the hon. Member.

SHRI SANDOSH KUMAR P (Kerala): Sir, I also associate myself with the matter raised by the hon. Member.

DR. SASMIT PATRA (Odisha): Sir, I also associate myself with the matter raised by the hon. Member.

SHRI P. WILSON (Tamil Nadu): Sir, I also associate myself with the matter raised by the hon. Member.

SHRI M. SHANMUGAM (Tamil Nadu): Sir, I also associate myself with the matter raised by the hon. Member.

Need to ease regulations to visit Shri Kartarpur Sahib and development of Anandpur Sahib as a heritage city

श्री राघव चड्ढा (पंजाब): सर, श्री गुरु नानक देव जी का परम पवित्र स्थान श्री करतारपुर साहिब का लांघा, जब आज से कुछ साल पहले खोला गया, तो सिर्फ हम पंजाबी ही नहीं, बल्कि पूरा देश, पूरी दुनिया बाबा नानक के रंग में रंग गयी। इस देश का हर नौजवान, हर बच्चा, हर बुजुर्ग बाबा नानक के गुरु घर में जाकर, श्री करतारपुर साहिब में जाकर दर्शन करना चाहता है, मत्था

टेकना चाहता है। सर, इससे कोई भी वंचित नहीं रहना चाहिए। हम लोग तो एक बार नहीं, बल्कि बार-बार वहां जाकर मत्था टेकना चाहते हैं, लेकिन तीन समस्याएं आज हर श्रद्धालु को, हर संगत के हर सदस्य को झेलनी पड़ती हैं, जब वह गुरु घर जाता है, जब वह श्री करतारपुर साहिब मत्था टेकने जाता है।

सर, पहली समस्या पासपोर्ट की है। आपके पास पासपोर्ट होना अनिवार्य है। अगर आपके पास पासपोर्ट नहीं है, तो आप वह लांघा पार करके श्री करतारपुर साहिब नहीं जा सकते, आपको इजाज़त नहीं दी जाती है। मुझे लगता है कि अगर भारत सरकार पाकिस्तान की सरकार से बातचीत करे और यह मुद्दा उठाये कि जब लांघा खोला ही है, जब संगत के लिए एक फैसिलिटी तैयार की है कि वे गुरु घर में जाकर मत्था टेक सकें, दर्शन कर सकें, तो इस पासपोर्ट की जो कंडिशन है, इसे वेव किया जाए और आधार कार्ड जैसे किसी भी आईडेंटिटी कार्ड को वैलिड आई.डी. कार्ड बनाकर इस्तेमाल किया जाना चाहिए।

सर, दूसरी बड़ी समस्या यह है कि आज हर श्रद्धालु को 20 डॉलर की फीस देनी पड़ती है। आप जानते हैं कि आज वैसे ही एक डॉलर 80 रुपये के पार हो चुका है। हमारी सरकार की इकोनॉमिक पॉलिसीज़ के चलते 80 के पार डॉलर हो गया है। अगर एक शख्स को 20 डॉलर की फीस देकर दर्शन करने जाना पड़े, तो 1,600 रुपये से अधिक की धनराशि उसकी जेब से लगती है। सर, मान लीजिए कि एक परिवार में पांच सदस्य हैं, वे हर साल जाना चाहते हैं, तो एक साल का, एक परिवार का 8,000 रुपये का खर्चा होगा।

मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि जो यह 20 डॉलर की फीस है, इसे वेव किया जाए। ...(समय की घंटी)... संगत के हर सदस्य को वहां जाने की अनुमति दी जाए।

सर, आखिरी समस्या यह है कि जो रिजस्ट्रेशन का ऑनलाइन प्रोसेस है, वह बड़ा मुश्किल है, उसे सरल किया जाए, ताकि संगत और गुरु घर के बीच में जितनी दूरियां हैं, वे मिटाई जाएं, बहुत-बहुत शुक्रिया।

DR. ASHOK KUMAR MITTAL (Punjab): Sir, I associate myself with the matter raised by the hon. Member.

DR. JOHN BRITTAS (Kerala): Sir, I also associate myself with the matter raised by the hon. Member.

श्री संजय सिंह (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली) : महोदय, मैं भी माननीय सदस्य द्वारा उठाए गए विषय से स्वयं को सम्बद्ध करता हूं।

श्री सुशील कुमार गुप्ता (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली) : महोदय, मैं माननीय सदस्य द्वारा उठाए गए विषय से स्वयं को सम्बद्ध करता हूं।

श्री सभापति : डा. अशोक बाजपेयी।